

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 867/119 (ब)/आउशि/शा-5'अ'/2017

भोपाल, दिनांक 07 जुलाई 2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
म.प्र.।

विषय: मेधावी विद्यार्थी योजना वर्ष 2017-18 के व्यापक प्रचार-प्रसार बाबत।


संदर्भ: संचालक, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. के पत्र क्र.4/शैक्ष/काउंसलिंग/एच/2017/753, दिनांक.
20.06.2017

-0-

विषयांतर्गत एवं संदर्भित के संबंध में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में वर्ष 2017-18 के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है।

2. योजना के आदेश क्र. एफ 5-6/2017/42(1), दिनांक 12.6.2017 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
3. समस्त प्राचार्य इस योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. योजना से संबंधित सम्पूर्ण विवरण एवं आवेदन-पत्र www.mpachedu.org अथवा www.scholarship portal.mp.nic.in पर उपलब्ध है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 07 जुलाई 2017

पृ0क्रमांक: 868/119(ब)/आउशि/शा-5'अ'/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार, संचालक, तकनीकी शिक्षा, चतुर्थ तल सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।


(डॉ. ए.एस. यादव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

Ph. 0755-2576751, Fax 0755-2552219, Website : www.mpachedu.org, E-Mail : dtemp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक / 4 / शैक्ष / काउंसलिंग / एच / 2017 / 753

भोपाल, दिनांक 20-06-2017

By Hand 23-6-17

प्रति,

6968

स्थानीय आरक्षक
दिनांक 23-6-17

1. उप सचिव,
म0प्र0 शासन, कृषि विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल
3. आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय,
गौतम नगर, भोपाल
4. आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

5. आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. संचालक,
आयुष, बेसमेंट,
सतपुड़ा भवन, भोपाल
7. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल

विषय:-मेधावी विद्यार्थी योजना वर्ष 2017-2018 के व्यापक प्रचार प्रसार संबंधी।

---000---

म0प्र0 शासन द्वारा वर्तमान में वर्ष 2017-2018 के लिये मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है। जिससे संबंधित शासन आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1), दिनांक 12.06.2017 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया आपके अधीनस्थ संबंधित महाविद्यालयों/विद्यालयों में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें। योजना से संबंधित सम्पूर्ण विवरण एवं आवेदन पत्र विवरण www.mpachedu.org अथवा www.scholarshipportal.mp.nic.in पर उपलब्ध है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

UK

(प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार)
संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
30 JUN 2017
051 (आकाश)
आयुक्त

17

180

//2//

क्रमांक / 4 / शैक्ष / काउंसलिंग / एच / 2017 /

भोपाल, दिनांक / 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप विभाग-5 (योजना शाखा), संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश।

(प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार)
संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12.06.2017

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 06 जून, 2017 को लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" प्रारम्भ की जा रही है। योजना को निम्न स्वरूप में अनुमति प्रदान की जाती है।

2. पात्रता की शर्तें:-

- 2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।
- 2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो।
- 2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई मेन्स परीक्षा का रैंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

- a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अन्तर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NIPTE) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रं. 1013/119/आउशि/शा-5'अ'/2017,
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 09 अगस्त 2017

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश,

विषय:- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के आदेश दिनांक 12 जून 2017 को संशोधित आदेश के संबंध में।

संदर्भ:- उपसचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा का पत्र क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) दिनांक 29.07.2017

-0-

उपरोक्त संदर्भित संशोधित आदेश के द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' के संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

कृपया तदनुसार आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रकरण में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



(नीरज मंडलोई)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं आयुक्त-सहसचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रं. 1020/119/आउशि/शा-5'अ'/2017,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 09 अगस्त 2017

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उपसचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

4. IT शाखा के कर्मचारी यमिशन 83



(डॉ. ए.एस. यादव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

:: संशोधित-आदेश ::

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश 12 जून 2017 को संशोधित स्वरूप में निम्नानुसार निर्गत किया जाता है -

2. पात्रता की शर्त:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी पिता पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो,

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. काडंथारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग समन्वयक में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा, तथा

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2016 या उसके पश्चात आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 इंजीनियरिंग क्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

- शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा
- प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

Neelam
29/7/17
318

स्पष्टीकरण- i) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

ii) शासकीय कॉलेज की परिभाषा में अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं समस्त शासकीय विश्वविद्यालय भी सम्मिलित माने जावेंगे।

3.2 मेडिकल की पढ़ाई :- a. जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश शासन में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। तो विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- NEET अथवा भारत शासन के अंतर्गत ऐसे संस्थान जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा।

b. शासकीय मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित कामीय क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रुपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि रुपये 25 लाख होगी।

3.3 विधि की पढ़ाई :- CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी. बी.ए. बी.कॉम. नर्सिंग, पॉलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.6 योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (नेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जाएगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -

- 4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
- 4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि जमा कर सकेगा।
- 4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनका जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करा सकेगा।

5. योजना का क्रियान्वयन-

- 5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा क्रिया जायेगा।
- 5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जावेगी।
- 5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनांतर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा।
- 5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से क्रिया जायेगा।
- 5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।
- 5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।

16/8
19/11/17

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु समन्वय में मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

3769
1-8-17

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सभाजीत यादव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

सू. क्रमांक एन 5-6/2017/42(1)

प्रतिनिधि:-

1. महासेवाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अरुण सुट्टम सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/विक्रम शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विधि और विधायी कार्य/परिपालन विभाग।
6. निज सचिव राजकीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, काय एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषाध्यक्ष अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. सहायक निजी

जी. भए. सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

web site पर यादव

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

01 AUG 2017

Jene / AS

कार्यालय
आयुक्त, उच्च शिक्षा
01 AUG 2017
059 (अकादमी)
आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

: : संशोधित एकजाई आदेश : :

भोपाल दिनांक 05-06-2018

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1): : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश 12 जून 2017, संशोधित आदेश दिनांक 31.7.2017, 24.8.2017, 30.8.2017, 5.9.2017 एवं 18.5.2018 को संशोधित स्वरूप में एकीकृत करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है:-

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो,

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।

2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित बारहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं, भी इस योजना में पात्र होंगे।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 इंजीनियरिंगक्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 मेडिकल की पढ़ाई :- जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 विधि की पढ़ाई :- CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन -

5.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू की गई है। संशोधित स्वरूप शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगा।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा। इस हेतु योजना पर हुए व्यय का 03 प्रतिशत किन्तु प्रथम वर्ष के लिए रुपये 15 करोड़ निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होगा।



इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5. संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन उपरान्त संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम.आर.शाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

भोपाल, दिनांक 5/6/2018

तिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 2. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग।
 3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
 4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय।
 5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
 6. निज सचिव माननीय मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
 7. निज सचिव प्रमुख सचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
 8. संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
 9. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल।
 10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
 11. स्टाफ पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल- 462004

क्रमांक : 1045/1539/18/38-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 16 जुलाई 2018

1. समस्त कुलसचिव शासकीय विश्वविद्यालय, म.प्र.।
2. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
3. समस्त प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।


विषय: मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत-द्वितीय वर्ष सत्र 2018-19 में प्रवेशित लाभार्थी/विद्यार्थियों द्वारा योजना से लाभ हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ: संचालक, तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्र. 4/शैक्ष./एमएमव्हीवाय/2018/326, दिनांक 6.7.2018

-0-

उपरोक्त संदर्भित बाबत लेख है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत संचालक तकनीकी शिक्षा, म.प्र. द्वारा योजना के द्वितीय वर्ष सत्र 2018-19 में प्रवेशित लाभार्थी विद्यार्थियों द्वारा योजना का लाभ हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध दिशा निर्देश (संलग्न) जारी किये गए हैं।

उक्त योजना के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग


पृ0क्रमांक 1046/1539/18/38-2 ...
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 16 जुलाई 2018

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय।
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनके के पत्र क्र. 4/शैक्ष./एमएमव्हीवाय/2018/326, भोपाल दिनांक 6.7.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
6. आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

डॉ. मधुर


20.7.18


अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

कमॉक 1142/412/आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 19/12/19

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषय— मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत छात्र-छात्राओं के वर्ष 2019 में नवीन एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के नवीनीकरण आवेदन महाविद्यालयों से सत्यापन एवं स्वीकृति कराये जाने बाबत।


संदर्भ:—संचालक तकनीकी शिक्षा के पत्र क्रमांक/4/एमएमवीवाय/2019/352 दिनांक 18.12.19 के संबंध में।

उपरोक्त विषय संदर्भ में लेख है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत छात्र-छात्राओं के वर्ष 2019 में नवीन एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के नवीनीकरण के संलग्न सूची अनुसार लंबित आवेदनों की सूची आपकी ओर प्रेषित कर महाविद्यालयों से सत्यापन एवं स्वीकृति कर भुगतान करने हेतु लिखा गया है।

अतः मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की लंबित सूची की समीक्षा कर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को आज ही यह निर्देशित करें की तत्काल दिनांक 20.12.19 समय अपराह्न 02:00 बजे तक भुगतान संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए छात्रवृत्ति शाखा के ईमेल तथा संचालक तकनीकी शिक्षा के ईमेल पर अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त योजना के भुगतान न होने पर यदि विद्यार्थियों के द्वारा सी एम हेल्पलाइन, ऑनलाईन समाधान अथवा अन्य शिकायत पर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की सुनिश्चित की जावेगी। कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपरोक्त कार्य सुनिश्चित कराना चाहे।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार सूची

(अपर आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



19.12.19

(डॉ आलोक निगम)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल दिनांक 19/12/19


डॉ. मसू


20.12.19

पृष्ठांकन क्रमांक 1143/412/आउशि/छा/19

प्रतिलिपि:—

- 1 निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
- 2 निज सहायक, संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल।
- 3 समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर इस आशय साथ प्रेषित कि दिनांक 20.12.19 अपराह्न 02:00 बजे तक आपने जिले के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर छात्रवृत्ति शाखा तथा संचालक तकनीकी शिक्षा के ईमेल अवगत कराने कष्ट करे।
- 4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, आई टी सेल, वेबसाइट पर, अपलोड किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधी सूचनार्थ।


19.12.19

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.



Govt Hamidia Arts And Commerce College Bhopal

MMVY Youjna 2022-23

S No	St Name	F Name	Mother name	Amount
1	AADIL HUSAIN	ZAHIDHUSAIN	SHAKEELA	10454
2	ABHAY SHARMA	GOVINDBIHARISHARMA	GOVINDBIHARISHARMA	10574
3	ABHAY KUMAR KURMI	AJABSINGHKURMI	PRABHAKURMI	10892
4	ABHISHEK MEENA	MOHANSINGHMEENA	SHRIKUMARMEENA	12454
5	ABHISHEK MEENA	TULSIRAMMEENA	RAMSHRIMEENA	11454
6	ABHISHEK PRAJAPATI	SHIVNARAYANPRAJAPATI	MEENAPRAJAPATI	2474
7	ABHISHEK SAHU	SHEULALSAHU	GUDDISAHU	10892
8	ABHISHEK SAHU	RAKESHSAHU	MAMTASAHU	12454
9	ACHINT JAIN	SUNILKUMARJAIN	MADHULIKAJAIN	2500
10	ADARSH DWIVEDI	PUSHPRAJDWIVEDI	SANGEETADWIVEDI	2464
11	ADARSH PAYASI	RAJKUMARPAYASI	SHASHIPAYASI	12782
12	ADITYA NA	GULABRAO	RACHNA	2647
13	ADITYA THAKUR	SURENDRASINGHTHAKUR	LAXMIBAITHAKUR	12782
14	ADITYA VISHWAKARMA	MOHAN	PUSHPA	10574
15	ADITYA KUMAR SHAH	ABHAYSHAH	NITUSHAH	11892
16	AJAY RAJAK	KOMALRAJAK	MAYARAJAK	10892
17	AJAY RAJPOOT	GOVERDHANSINGH	SHIVKUMARI	2782
18	AKASH SEN	PRAKASHSEN	BHARATISEN	2474
19	AKASH KUMAR SHUKLA	ASHOKKUMARSHUKLA	KAMLASHUKLA	11574
20	AMAAN UDDIN	KALEEMUDDIN	NUJHATAARA	12782
21	AMAN ALI	ILYASALI	ANWARIBEE	2464
22	AMAN PACHORI	ANANDPACHORI	DEEPIKAPACHORI	2672
23	AMAN PATHAK	SATISHPATHAK	MAMTAPATHAK	12464
24	AMAN SAHU	KAILASHSAHU	MAMTASAHU	2474
25	AMAN SHRIVASTAVA	VIJAYSHRIVASTAVA	SHIVANISHRIVASTAVA	2782
26	AMAN THAKUR	JAGDISHTHAKUR	SUNITATHAKUR	12454
27	AMIT GOUR	SHIVPRASAD	PREETIGOUR	2782
28	AMIT PARMAR	SURESHPARMAR	ANITAPARMAR	10574
29	AMIT SHARMA	GHANSHYAMSHARMA	JAISHREESHARMA	2464
30	ANAND SHARMA	KAMLESHSHARMA	MAYASHARMA	10454
31	ANANT AGRAWAL	SHARADAGRAWAL	GEETAAGRAWAL	2782
32	ANANT TRIVEDI	RKTRIVEDI	RITUTRIVEDI	2474
33	ANIKET KUSHWAHA	HARPRASADKUSHWAHA	SUNITAKUSHWAHA	12464
34	ANIL KUMAR	RATIRAM	SUMAN	10892
35	ANKESH MISHRA	CHANDRACHANDRUMISHRA	NANDANIMISHRA	2782
36	ANKIT CHOURASIYA	HARISHCHANDRACHOURAS	SEEMACHOURASIYA	11574

37	ANKIT NAGAR	DEVILAL	DURGA	2464
38	ANKIT VERMA	KAMLESH	GANGA	11574
39	ANSH SAHU	DINESHAHU	TARANASAHU	10892
40	ANSH VERMA	VIJAYVERMA	NISHAVERMA	2647
41	ANSHUL MALVIYA	CHANDARSINGHMALVIYA	SEEMAMALVIYA	12000
42	ANUJ PRAJAPATI	ASHOKPRAJAPATI	NIRMALAPRAJAPATI	10574
43	ANURAG GUPTA	SURENDRAGUPTA	GEETAGUPTA	12454
44	ANURAG PANDEY	AJAYKUMAR	MITHLESH	2474
45	ARPIT SONI	HARIOMSONI	PARVATISONI	12464
46	ARSALAN KHAN	AMANULLAHKHAN	NOORJAHAN	12782
47	ARUN SARONIYA	SHYAMSINGHSARONIYA	MAMTASARONIYA	2390
48	ARUN SHARMA	DURGAPRASAD	SUDHASHARMA	2474
49	ARYAN SAHU	BABULALSAHU	SHEELASAHU	10892
50	ASHIQ QURESHI	ASHFAQQURESHI	AFSANAQURESHI	10892
51	ASHISH RAJPUT	PRITAMSINGHRAJPUT	REKHARAJPUT	2454
52	ASIM KHAN	MOHDKHALILKHAN	SHABANAKHAN	10574
53	ATANSHU SINGH	SUBHASHSINGH	URMILA	10574
54	AYUSH YADAV	ASHOKYADAV	BHARTIYADAV	2454
55	BAHADUR BHURIYA	FAKHRUBHURIYA	THAVRIBHURIYA	2782
56	BHAGAT SINGH RAGHUVANSHI	NEPALSINGHRAGHUVANSHI	RANISINGHRAGHUVANSHI	2672
57	BHARAT SINGH PANTHI	NANDKISHOR	YASHODA	10798
58	BRIJESH KEWAT	RAMRAJKEWAT	PREMWATIKEWAT	2474
59	CHANDRASHEKHAR LODHI	GANESHRAMLODHI	SHANTILODHI	12464
60	CHETAN SHAHI	ANANDSHAHI	SABITASHAHI	2454
61	DARSHAN JEEVNANI	KANHAIYALALJEEVNANI	RAMAJEEVNANI	12464
62	DAYA SAGAR KUSHWAHA	RAMKUSHWAHA	KUSUMKALI	2474
63	DEEPAK DUBEY	RAJENDRAPRASADDUBEY	MANISHADUBEY	10574
64	DEEPAK TILAK	RAKESHTILAK	CHINTATILAK	11574
65	DEEPU GUPTA	ANILGUPTA	RAJKUMARIGUPTA	10892
66	DEVANSH RATHORE	MOHANRATHORE	ASHARATHORE	10892
67	DEVANSHU SARODE	NANDKISHORSARODE	INDIRASARODE	12637
68	DEVENDRA VISHWAKARMA	GHANSHYAM	SEEMA	12464
69	DIVYANSH AGRAWAL	SANJEEVAGRAWAL	KAVITAAGRAWAL	2454
70	DIVYANSH JAIN	RAJESHKUMARJAIN	VANDANAJAIN	2464
71	DIVYANSH KUMAR JAIN	SURENDRAKUMARJAIN	SADHNAJAIN	2464
		HARNARAYAN SINGH		

73	GAURAV RAJA	NANHERAJA	MUNNIRAJA	2474
74	GOPAL ACHARYA	RAGHAVENDRAACHARYA	SUSHILAACHARYA	10892
75	HANUMANT HANUMANT	ASHARAM	ASHARAM	2390
76	HARIOM PATIDAR	DURGAPRASADPATIDAR	KANTIPATIDAR	12454
77	HARMEET SINGH	BALJEETSINGH	HARJEETKAUR	10892
78	HARSH GUPTA	MAHESHGUPTA	PUSHPAGUPTA	10454
79	HARSHIT RAGHUWANSHI	HARIOMRAGHUWANSHI	ARCHANARAGHUWANSHI	2782
80	HOSHILAL HIRVE	DAYARAMHIRVE	DURGAHIRVE	2474
81	HUZAIFA KHAN	JAVEDKHAN	RONAQKHAN	2647
82	IBRAHIM SADAT	SADATMOHAMMADKHAN	SHAZIYAKHAN	11574
83	IMRAN NA	HAMEEDKHAN	LAIKABEE	2782
84	JAGDISH MEWADA	BHADARSINGHMEWADA	VIDHYABAI	2454
85	JAYDEEP RAJPOOT	VISHWANATHRAJPOOT	PREETI	2474
86	JITENDRA RAIKWAR	KANHAIYALALRAIKWAR	JYOTI	2474
87	KAMRAN KHAN	MOIMRAN	SHEEBAKHAN	10892
88	KARAN GOUR	VINODGOUR	CHANDRABAIGOUR	2474
89	KARAN SINGH	BHUPENDRASINGH	REKHASINGH	11892
90	KARTIK JAIN	KAILASHJAIN	MANISHAJAIN	2454
91	KESHAV KARNDHAR	PHALWANSINGH	RAJKUMARIBAI	11892
92	KESHAV SINGH	BALDAUSINGH	SARITASINGH	2474
93	KHUSH WELEKAR	ARVINDWELEKAR	HARSHAWELEKAR	10892
94	KSHITIJ MISHRA	MAHESHMISHRA	EKTAMISHRA	10574
95	KULDEEP RATHOD	MAHENDRACHANDEL	DEEPALICHANDEL	11574
96	KUNAL SHARMA	SANJAYSHARMA	MITHLESHSHARMA	10892
97	LOKESH PARMAR	DEVKARANPARMAR	ANUSURIYAPARMAR	11574
98	MAHENDRA KUSHWAHA	NARAYAN	PARWATI	10574
99	MALKHAN THAKUR	AZADTHAKUR	KAMLESHBAI	2474
100	MANISH VISHWKARMA	JAGTAAPVISHWKARMA	RAMVATIVISHWKARMA	2474
101	MANOJ PACHHAI	YANKBAHADURPACHHAI	RIMAPACHHAI	2454
102	MAYANK MISHRA	RAMNARESHMISHRA	MEENA	11574
103	MAYUR MANDLEKAR	GYANDEVMANDLEKAR	ANITAMANDLEKAR	12375
104	MILAN JAIN	PAWANJAIN	SUMANJAIN	10454
105	MILAN SAHU	ASHOKSAHU	RAJBASAHU	2474
106	MOHAMMAD ARHAM QURESHI	MOHAMMADFEEROZQURESHI	RUBEENASULTAN	2782
107	MOHD OVAIS	JAVED	AFSARJAHAN	10454
108	MOHD FARUKH KHAN	SHARAFATKHAN	FARZANAKHAN	12454
109	MOHD MOHSIN KHAN	MOHDAZIZ	NAZMA	2454

110	MOHD QADEER RIZVI	ZAMANATABBASRIZVI	SHEEBAFATIMA	12782
111	MOHIT KHICHI	UMASHANKARKHICHI	LOKMANIKHICHI	12380
112	MOHIT SAHU	SUNILSAHU	SEEMASAHU	10892
113	MOHIT SHARMA	SANDEEPSHARMA	REKHASHARMA	10454
114	MUKESH THAKUR	CHIRONJILALTHAKUR	SARSWATIBAI	2390
115	NAJMUSH SHAKIB KHAN	PYAREKHAN	NAJMABEE	2474
116	NAMAN SAXENA	RAJESH SAXENA	RANISAXENA	10892
117	NAMAN SHUKLA	NARENDRASHUKLA	GEETASHUKLA	11892
118	NANDU HINGWE	AANANDRAO	SANGEETA	10574
119	NAVEEN SURYAWANSHI	GOKULSURYAWANSHI	UMASURYAWANSHI	2474
120	NAVEEN YADAV	POORANLALYADAV	PUSHPAYADAV	12464
121	NAYAB KHAN	NAFISKHAN	NUSRATKHAN	10892
122	NEERAJ GOUTAM	RAMESHGOUTAM	ANJUGOUTAM	2474
123	NEERAJ SINGH	DEVSINGH	ANITA	10892
124	NIHIT JAIN	NIKHILESHJAIN	NAMITAJAIN	12454
125	NIKHIL SAHA	SHYAMLALSHAH	REKHADEVI	2782
126	NIKHIL TIWARI	NARESHTIWARI	ARCHNATIWARI	2782
127	OSAF KHAN	VALIMOHAMMADKHAN	MEHLAKAKHAN	2782
128	PANKAJ DAS BAIRAGI	LAKHANDASBAIRAGI	RANIBAIRAGI	11892
129	PAWAN NAGAR	RAMKAILASHNAGAR	KRISHNANAGAR	12782
130	PIYUSH DWIVEDI	PRAMOD DWIVEDI	NEERJA DWIVEDI	2782
131	PRAKASH SHUKLA	CHANDRAKUMARSHUKLA	GYATRISHUKLA	2474
132	PRANAV CHOUHAN	LATEJASWANTCHOUHAN	MAMTACHOUHAN	10747
133	PRANAY CHOUDHARY	CHATRAPAL	SHAIL	10574
134	PRASHANT RAJPUT	PARVATSINGH	KAMTABAI	2782
135	PRASHANT TOMAR	HUKUMSINGHTOMAR	RUBEENATOMAR	12464
136	PRAVESH SHARMA	RAMSEVAKSHARMA	PHOOLWATI	12782
137	PREET JAIN	PAWANKUMARJAIN	RASHMIJAIN	12464
138	PRIYANSH GUPTA	OMPRAKASHGUPTA	KIRANGUPTA	2782
139	PRIYANSHU MISHRA	KRISHNAKUMARMISHRA	GEETAMISHRA	2474
140	PUNIT SINGH BAIS	BANSHBAHADURSINGH	KUSUMSINGH	2474
141	RAAQUIB KHAN	SHAHIDKHAN	MUNAWWARJAHAN	12464
142	RAGHAV MISHRA	MANOJMISHRA	ARCHANAMISHRA	10574
143	RAHUL MORE	BHUSHANMORE	SUNITAMORE	2474
144	RAHUL TOMAR	DURGESINGHTOMAR	MANKUNWARBAITOMAR	11574
145	RAHUL SINGH THAKUR	GAJRAJSINGHTHAKUR	SASUIYATHAKUR	10574
146	RAJDEEP SISODIYA	BHEEMSINGH	MANJU	2474
147	RAJEEV KUMAR	MADANKUMARRAJAK	YASHVANTI	2782

148	RAJNISH KUMAR YADAV	TARACHANDYADAV	TARAMUNIYADAV	10747
149	RAJUL RAGHUWANSHI	RAJKUMARRAGHUWANSHI	MEENARAGHUWANSHI	12454
150	RAKESH NA	PRAKASH	MALTI	10892
151	RAMKUMAR PATEL	SARVANPATEL	JANKIBAI PATEL	12782
152	RAMKUMAR YADAV	RAMSNEH	SAVITRIBAI	12464
153	RANVIJAY PRATAP SINGH RAGHUVA	AJAYSINGH	REKHASINGH	12782
154	RAVENDRA MISHRA	HARISHANKAR MISHRA	MANJU MISHRA	12782
155	RITANSHU JAIN	DEEPAKJAIN	PINKYJAIN	2464
156	RITESH RAI	BARALAL RAI	SANJANA RAI	12464
157	RITIK GUPTA	RAMCHANDRAGUPTA	YOGITAGUPTA	12464
158	RITIK SEN	SURESHSEN	BHARTISEN	12464
159	RITVIK BAHADUR THAPA	BHIMBAHADURTHAPA	PUSHPATHAPA	2454
160	ROHIT AHIRWAR	KAILASHAHIRWAR	BINDABAI AHIRWAR	2647
161	ROHIT BHASKAR	SHIVBEERBHASKAR	SHUSHMABHASKAR	2474
162	ROHIT DANGI	DINESHDANGI	POOJADANGI	2464
163	SACHIN THAKUR	KRIPALSINGH	SHEELABAI	2474
164	SAGAR RAJPUT	DHANROOPSINGH RAJPUT	SONABAI	2454
165	SAHIL AJMERI	SARIFAJMERI	SHANNOBEE	10892
166	SAKSHAM JAIN	ANILJAIN	LAXMI JAIN	2464
167	SAMARTH AGRAWAL	DINESHAGRAWAL	RENUAGRAWAL	2454
168	SAMI BAIG	ASLAMBAGI	GHAZALA	2782
169	SANDEEP RAJPUT	SHOBHARAMRAJPUT	KIRANRAJPUT	2474
170	SANGAM PATEL	KAILASHPATEL	SUSHILA	2782
171	SANJEEV GOUR	OMPRAKASHGOUR	PHOOLVATIGOUR	12464
172	SANKALP TIWARI	SUNILTIWARI	SAROJTIWARI	12782
173	SANKRANT SINGH	ADHAARSINGH	GEETASINGH	12370
174	SATYAM SAHU	SANTOSHSAHU	MEENASAHU	2782
175	SHAIENDRA DHAKAR	LAXMINARAYANDHAKAR	SAVITRIBAI DHAKAR	12782
176	SHAIENDRA SHRIVAS	RAMESHSHRIVAS	GEETASHRIVAS	11892
177	SHASHIKANT MALVIYA	MAHESHMALVIYA	KOUSHALIYADEVI	10370
178	SHIVAM KUSHWAH	AMARSINGHKUSHWAH	KALABAI	12782
179	SHIVAM PATEL	RAMDARASHPATEL	MAYAPATEL	12782
180	SHIVAM PATERIYA	GANGARAMPATERIYA	MAYAPATERIYA	12782
181	SHIVAM SHARMA	PRATAPBHANUSHARMA	ANITASHARMA	11454
182	SHIVANSH SINGH BAGHEL	MAHENDRASINGH	KIRANSINGH	2782
183	SHRESTHA SAXENA	OMKISHORESAXENA	VANDNASAXENA	2782

185	SHRISHANK SHUKLA	AADIDEVSHUKLA	ASHASHUKLA	10892
186	SHUBHAM PATEL	RAJESHPATEL	ABHILASHAPATEL	11454
187	SHUBHAM RAJPUT	LAXMANSINGH	MAMTABAI	10574
188	SHUBHAM RAWAT	SATISHCHANDRARAWAT	DURGESHDEVI	10892
189	SHUBHAM SINGH	TORANSINGH	SANJUSINGH	2698
190	SHUBHAM YADAV	HARINARAYANYADAV	GUDDIYADAV	2464
191	SIKANDER KHAN	JAVEDKHAN	NASEEMA	2464
192	SONU GUPTA	SANTOSHGUPTA	ANITAGUPTA	2474
193	SONU SINGH	DHARMENDRASINGH	RITADEVI	2454
194	SUMIT NAGAR	BALKISHANNAGAR	MANJUNAGAR	10574
195	SUMIT SINGH MANDVI	MAKHANSINGHMANDVI	MAHIMAMANDVI	10490
196	SURAJ KOURAV	RAGHVENDRAKOURAV	SHEELABAIKOURAV	10454
197	SWAPNIL AGNIHOTRI	ABHAYAGNIHOTRI	GAURIAGNIHOTRI	12464
198	SYED SAIF ALI	SYEDSAJIDALI	MOHSINA	10892
199	SYED SAIF ALI	SYEDRASHIDALI	TABASSUMALI	12454
200	TUSHAR VISHWAKARMA	AMAR SINGH VISHWAKARMA	ASHA VISHWAKARMA	10747
201	UPENDRA SINGH SENGAR	SHIVRAJSINGHSENGAR	SHIVANISENGAR	10454
202	UTKARSH SAHU	ANILSAHU	SEEMASAHU	10892
203	VED NARAYAN GARG	JAINARAYANGARG	SAVITAGARG	12782
204	VEDANSH MISHRA	VEDPRAKASHMISHRA	BARKHAMISHRA	12454
205	VIJAY SINGH NEGI	JAIPALSINGHNEGI	VIMLANEGI	2474
206	VIKKI RAJPUT	DHANROOPSINGHRAJPUT	SONABAI	2464
207	VINAY PARADKAR	DINESHPARADKAR	SANGEETA	10747
208	VISHAL TILAK	SHAKTITILAK	PAPPITILAK	11574
209	VIVEK RAJPUT	GULAB	SAVITABAI	2464
210	VIVEK SAHU	SANTOSHSAHU	RUKMANI	11454
211	VIVEK KUMAR GUPTA	RAMPRASADGUPTA	MAMTAGUPTA	2474
212	YASH SONI	BHUPENDRASONI	PRIYANKASONI	2454
213	YOGESH PATEL PATEL	BRIJESH PATEL	PRITI BAI	10454
214	YUSUF KHAN	TAYYABKHAN	SHANNOBEE	2647

1647014


PRINCIPAL
 Govt. Mamidia Arts & Commerce
 College, Bhopal